भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3877

24.03.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य

3877. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-4) 2030 के लिए निर्धारित प्रथम अद्यतन किए गए देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है और यदि हां, तो प्रत्येक लक्ष्य की दिशा में हासिल हुई प्रगति का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि भारत अपने 2030 एनडीसी के लक्ष्यों को पार कर जाएगा, जिससे जलवायु कार्रवाई के संबंध में वैश्विक नेता के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी और यदि हां, तो ऐसे अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जलवायु प्रतिबद्धताओं पर भारत की प्रगति के मद्देनजर, 2025 के लिए अपने दूसरे एनडीसी लक्ष्यों में संशोधन पर विचार कर रही है ताकि बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया जा सके और विकसित और विकासशील, दोनों देशों को वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लक्ष्य के साथ अपनी जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और इसका वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर अपेक्षित प्रभाव क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): भारत सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने अनुकूलन और उपशमन दोनों पर भारत की कार्रवाई की गति बढ़ाने के लिए कई स्कीमें और कार्यक्रम शुरू किए हैं। जल, कृषि, वन, ऊर्जा और उद्यम, संधारणीय गतिशीलता और आवासन, अपशिष्ट प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता आदि सहित कई क्षेत्रों में इन स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत यथोचित उपाय किए जा रहे हैं। उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप भारत ने उत्तरोत्तर रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों (जीएचजी) से आर्थिक विकास को अलग करने प्रक्रिया को जारी रखा है।

30 दिसंबर, 2024 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) को प्रस्तुत भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-4) भारत के अद्यतित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के संबंध में भविष्य के अनुमानों के लिए प्रावधान नहीं करती है। बीयूआर-4 के अनुसार, वर्ष 2005 और 2020 के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता एनडीसी लक्ष्य 45% के मुकाबले 36% कम हो गई और साथ ही 2005 से 2021 के दौरान, 2.29 बिलियन टन CO_2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। अक्टूबर 2024 तक, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% थी। इस प्रकार, भारत एनडीसी के तहत संप्रेषित अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

(ग) और (घ): पेरिस करार के सभी पक्षकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान के रूप में तथा इस करार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित तरीके से पेरिस करार में हुई सहमति के अनुसार महत्वाकांक्षी प्रयास करना और उसके बारे के सूचित करना अपेक्षित है। यूएनएफसीसी को एनडीसी प्रस्तुत करने की सामान्य समय सीमा से संबंधित निर्णय से पक्षकारों को वर्ष 2025 में 2035 की अंतिम तारीख तक की एनडीसी, वर्ष 2030 में 2040 की अंतिम तारीख तक की एनडीसी तथा उसके पश्चात् आगे भी प्रत्येक पांच वर्ष में एनडीसी प्रस्तुत करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

****